More Steamers between Lakshadweep and mainland

6928. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the two steamers, now plying between Lakshadweep and mainland are not enough to meet adequately to the requirement of transport between Island to Island in Lakshadweep;

(b) whether Government intend to put more all weather ships to meet this requirement; and

(c) if so, the steps taken in that direction and the results so far?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) No, Sir.

(b) and (c). A suggestion for acquisition of an all weather Amindivi type ship in replacement of the smaller vessel M.V. 'Laccadives' has been made. Investment decision will depend on financial constraints and other priorities.

सी0 ग्रेड के गार्ड

6929. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूंडला के सी-ग्रेड के गार्डों का उनकी सुविधा के लिए कानपुर तबादला करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पहले कोई सूची तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सूची का उल्लंघन करके कितने तबादले किये गये और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में टूंडला से कानपुर को सी-ग्रेड के गार्डों का तबादला प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जायगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां ।

(ख) ग्रेड 'सी' के तीन गार्डों को अनुकम्पा के आधार पर टूण्डला से कानपुर बिना बारी के स्थानान्तरित किया गया है ।

(ग) जी हां । भारी कठिनाई वाले मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में प्राथमिकता का पहले से ही अनुपालन किया जा रहा है ।

डिवीजनल रेलवे मैनेजर

6930. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-मुख्यालय, राजस्थान में डिवीजनल सुपरिटेण्डेंट के स्थान पर डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक की नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे क्या अतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं; और

(ग) रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं और 53 डिवीजन रेलवे मैनेजर के अतिरिक्त सब डिवीजनों में डिवीजनल रेलवे मैनेजरों की नियुक्ति कब तक की जायेगी और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) मंडल प्रशासनिक स्थापना को मजबूत करने से रेल प्रशासनों को मंडलीय रेलवे प्रबन्धकों को प्रत्यायोजित किये गये अधिकारों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्तर पर दिन प्रतिदिन लिये जाने वाले निर्णयों के लिए प्रत्यायोजित किये गये उनके अधिकार पर्याप्त हैं ।

(ग) मण्डलों की कुल संख्या (तिनसुकिया को छोड़ कर जो कि एक परिचालनिक मंडल है) 52 है । 36 मंडलों के लिए मंडलीय रेलवे प्रबन्धकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं । वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों की उपलब्धता के आधार पर यथा समय शेष मंडलों में भी यह व्यवस्था कर दी जायेगी ।